क्र.सं.	बिन्दु	आवेदक की टिप्पणी (आत्म मूल्यांकन के रुप में)	विभागीय मूल्यांकन (प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर टिप्पणी)
A	**आवेदक की श्रेणी के आधार पर वरीयता चाहने हेतु**		
1.	क्या आवेदक स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्यरत हैं अथवा समूहों के समूह के रूप में व्यावसायिक/आर्थिक गतिविधि चलाना या विस्तार करना चाहते हैं?		
2.	क्या आवेदक वस्तुतः समाज के सबसे वंचित तबके के रूप में विद्यमान हों, जैसे स्ट्रीट वेण्डर, माइनिंग एवं कंस्ट्रक्शन वर्कर, घरेलू वर्कर व असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिक के रूप में है?		
3.	क्या आवेदक दिव्यांग की श्रेणी में आता है?		
4.	क्या आवेदक महिला श्रेणी में आता है?		
5.	क्या आवेदक कंपनी या फर्म के रूप में दर्ज होने से बेहतर पारदर्शिता की संभावना रखती है?		
6.	क्या आवेदक विश्व के अन्य देशों से न्यूनतम 1 वर्ष तक कार्य करके लौटकर आये कामगार एवं उद्यमी है?		
B	**आवेदक की उद्यम संभावना के आधार पर वरीयता चाहने हेतु**		
7.	क्या आवेदक राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कौशल में प्रशिक्षित या प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में पुरस्कृत है या आवेदक की शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता प्रस्तावित उद्यम में सहायक रहेगी?		
8.	क्या आवेदक के पास परम्परागत, वंशानुगत अथवा अर्जित अनुभव के आधार पर उद्यम हेतु विशेषज्ञता है अथवा बुनकर कार्डधारक या आर्टीजन कार्ड धारक हैं?		
9.	क्या आवेदक पूर्व में बैंक के अच्छे ऋणी हैं, जिन्होनें बैंक के नियमों के तहत समयबद्ध रूप में ऋण चुकाया हो?		
10	क्या आवेदक के उद्यम में एक स्टार्ट–अप के योग्य कोई विशिष्ट नवाचार या संभावना विद्यमान है या वे किसी ऐसे अनुसंधान को क्रियान्वित करना चाहते हों,		

	जो भविष्य की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी हो?		
11	क्या आवेदक का उद्यम निर्यात संभावना युक्त है?		
12	क्या आवेदक एक दूसरे की संयुक्त देयता (ज्वाइंट लायबिलिटी) या गारंटी लेते हैं?		
13	क्या आवेदक कार्य योजना में निर्यात संवर्द्धन की विपुल संभावना है?		
14	क्या आवेदक की प्रस्तावित परियोजना से रोजगार व कौशल दोनों बढ़ता हो ?		
15	क्या आवेदक की कार्ययोजना में पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अथवा गैर परम्परागत उर्जा संसाधनों का समुचित प्रयोग होता है?		
C	**अन्य बिन्दु**		
16	क्या आवेदक के उद्यम हेतु अपनी भूमि है?		
17	क्या आवेदक के उद्यम हेतु उपलब्ध भूमि में आवश्यकता अनुसार भवन निर्मित है?		
18	क्या प्रस्तावित उद्यम स्थापना वाले स्थान में उपलब्ध कच्चे माल या प्राकृतिक उत्पाद के उपयोग पर आधारित है?		
19	यदि उस स्थान पर उस जैसे अनेक उद्यम है तो वह किस आधार पर चलने की संभावना मानता है?		
20	क्या प्रस्तावित उद्यम में प्रशिक्षित मानव संसाधन के उपयोग की संभावना है?		

नोट :– यह प्रपत्र मूल आवेदन के साथ ही स्वयं आवेदक द्वारा आत्ममूल्यांकन के रूप में भरा जायेगा, जिसका विभागीय स्तर पर परीक्षण कर समुचित अभिशंषा की जाएगी। उद्योग विभाग द्वारा किसी परियोजना विशेष के लिए इनके अतिरिक्त भी बिन्दु बनाए जा सकते हैं, किन्तु वे महाप्रबन्धक स्तर से अनुसंषित होंगे।

7. मूल्यांकन के उपरान्त प्रभारी अधिकारी/टास्क फोर्स की अभिशंषा :–

उक्त उल्लेखित पैरामीटर तथा अन्य बिन्दुओं पर निम्नांकित रूप में टिप्पणी करते हुए आवेदन पत्र को अग्रेषित करने का निर्णय लिया जा सकेगा ।

1	2	3	4	5
बहुत अच्छा	**अच्छा**	**सामान्य**	**समुचित नहीं**	**टिप्पणी**

8. **ऋण के संबंध में सामान्य स्पष्टीकरण :–**

क. योजना में ऋण हेतु इच्छुक आवेदक दो तरह के हो सकते है :–

1. **वित्तीय संस्थान** में ऋण स्वीकृति से पूर्व सामान्य आवेदन करने वाले
2. **वित्तीय संस्थान** से ऋण की स्वीकृति/सहमति करा चुके आवेदक

योजना के समुचित कियान्वयन हेतु आयुक्त उद्योग इनके लिए एक निश्चित अनुपात निर्धारित करने में सक्षम होंगे।

ख. कोई उद्यमी जो उद्यम लगाता है, उसमें स्थायी व्यय एवं आवर्ती व्यय के रूप में क्रमशः पूंजीगत लागत (Capital Expenditure) तथा राजस्व लागत (Revenue Expenditure) का प्रावधान होता है, इसमें भी कुल परियोजना लागत के अन्तर्गत कुछ राशि उद्यमी द्वारा स्वयं के स्तर पर वहन की जाती है, जिसे उसका स्वयं का अंशदान माना जाता है। बैंक द्वारा सामान्य तौर पर उसकी पूंजीगत लागत (स्थायी व्यय) के लिए कम्पोजिट/ सावधि ऋण का प्रावधान किया जाता है और राजस्व व्यय (आवर्ती व्यय) के लिए कार्यशील पूंजी मानते हुए उसकी सी. सी.लिमिट निर्धारित की जाती है। **ऋण का स्वरूप प्रोजेक्ट की आवश्यकतानुसार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण अथवा केवल सावधि ऋण तथा व्यापार क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण अथवा सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूंजी (अधिकतम 25 लाख रूपये तक के ऋण) (सी.सी. लिमिट सहित) होगा ।**

यह अधिसूचना वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101905669 दिनांक 09.12.2019 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शुभम चौधरी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग/एमएसएमई।
6. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त, (समस्त) राजस्थान।
10. जिला कलेक्टर, (समस्त), राजस्थान।
11. निदेशक, प्रिन्टिग एवं स्टेशनरी, राजस्थान, जयपुर को मय सीडी के भेजकर निवेदन है कि अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु निर्देशित करें।
12. वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र (समस्त)।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव